कुरुक्षेत्र

NCDC: भारत की सहकारी क्रांति का सशक्तिकरण

संदर्भ

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) भारत में सहकारी पुनर्जनन का प्रमुख संचालक बनकर उभरा है, जो सहकारी चीनी मिलों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.), मछुआरा उत्पादक संगठनों (एफ. एफ.पी.ओ.), और समुद्री मछली पालन सहकारिताओं के समर्थन के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एन.सी.डी.सी. की सक्रिय वित्तीय और तकनीकी पहलें जमीनी स्तर की आर्थिक संस्थाओं को मजबूत कर रही हैं।

एन.सी.डी.सी. के बारे में

- **स्थापना और कानूनी ढांचा:**
  - एन.सी.डी.सी., सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, 1963 में एन.सी.डी.सी. अधिनियम, 1962 के तहत स्थापित।
  - उद्देश्य: सहकारी आंदोलन और ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- **प्रमुख कार्य:**
  - किसान सहकारिताओं को कृषि विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड चेन, और इनपुट आपूर्ति जैसी गतिविधियों के लिए वित्तपोषण।

- गैर-कृषि सहकारी क्षेत्रों जैसे डेयरी, हथकरघा, रेशम उत्पादन, पोल्ट्री, और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन।
- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और महिला सहकारिताओं पर विशेष ध्यान।

➢ **योजनाएं:**

- विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का कार्यान्वयन।
- समावेशी और सतत ग्रामीण विकास के लिए सहकारिताओं को सशक्त करना।

प्रमुख उपलब्धियां

➢ **वित्तीय विस्तार और वृद्धि:**

- वित्त वर्ष 2024-25 में ₹95,175.71 करोड़ का वितरण, जिससे 2.76 लाख सहकारी समितियों और 1.27 करोड़ सदस्यों को लाभ।
- **शुद्ध लाभ:** ₹750 करोड़, शून्य गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए), और 99.76% ऋण वसूली दर।
- **मार्च 2025 तक कुल वितरण:** ₹4.08 लाख करोड़, 2015-16 से 33% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)।
- **वित्त वर्ष 2025-26 का लक्ष्य:** ₹80,000 करोड़ का वितरण।

➢ **सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) को समर्थन:**

- सहकारिता मंत्रालय द्वारा ₹1,000 करोड़ की एकमुश्त अनुदान।
- 56 सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन, सह-उत्पादन इकाइयों, और कार्यशील पूंजी के लिए ₹10,000 करोड़ स्वीकृत और वितरित।
- **परिणाम:** ग्रामीण रोजगार में वृद्धि और परिचालन व्यवहार्यता में सुधार।

➢ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का प्रचार:

- 10,000 एफपीओ गठन और प्रचार योजना के तहत 1,863 एफपीओ गठित, जिसमें 1,100 अतिरिक्त लक्षित एफपीओ शामिल।
- एफपीओ और क्लस्टर-आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) को ₹165.37 करोड़ वितरित।
- **उद्देश्य:** सामूहिक खेती और बाजार संपर्क को मजबूत करना।

➢ मछुआरा उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का विकास:

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 70 नए एफएफपीओ गठित और 1,000 मौजूदा मत्स्य सहकारिताओं का रूपांतरण।
- ₹77.07 करोड़ का वितरण।
- नई पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएमकेएसएसवाई) के तहत 2,348 मत्स्य सहकारिताओं को एफएफपीओ में बदलने का लक्ष्य।
- **प्रभाव:** नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

➢ समुद्री और तटीय विकास पहल:

- **गहरे समुद्र ट्रॉलर पहल:** महाराष्ट्र (14 ट्रॉलर) के लिए ₹11.55 करोड़ और गुजरात (30 ट्रॉलर) के लिए ₹18 करोड़ स्वीकृत।
- मुंबई की राजमाता विकास मच्छीमार सहकारी संस्था को समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए ₹37.39 करोड़ स्वीकृत।
- केरल में एकीकृत मत्स्य विकास परियोजना के लिए ₹32.69 करोड़ स्वीकृत (₹20.83 करोड़ जारी)।
- **प्रभाव:** समुद्री अवसंरचना और प्रसंस्करण क्षमता में सुधार।

महत्व

- **ग्रामीण आर्थिक सशक्तीकरण:**
  - छोटे किसानों, मछुआरों, और ग्रामीण उद्यमियों को सस्ता ऋण, अवसंरचना, और बाजार संपर्क प्रदान करना।
  - मूल्य संवर्धन, इथेनॉल उत्पादन, और सामूहिक विपणन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
- **समावेशी विकास:**
  - एससी, एसटी, और महिलाओं को सहकारी मॉडल के माध्यम से समर्थन।
  - पर्यावरण-अनुकूल मत्स्य पालन और सामुदायिक संसाधन प्रबंधन जैसी सतत प्रथाओं को प्रोत्साहन।
- **राष्ट्रीय दृष्टिकोण:**
  - सहकारिता मंत्रालय के "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के साथ संरेखित।

चुनौतियां और आगे की राह

- **चुनौतियां:**
  - **क्षेत्रीय असमानताएं:** सहकारी क्षेत्र में असमान विकास।
  - **अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना:** प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और एफपीओ स्तर पर।
  - **प्रशिक्षित नेतृत्व की कमी:** सहकारी नेतृत्व का अभाव।
- **आगे की राह:**
  - मानव संसाधनों और डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना।
  - सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) मॉडल के माध्यम से बहु-उद्देश्यीय पीएसीएस को बढ़ावा देना।

- गैर-कृषि सहकारिताओं के लिए ऋण पहुंच का विस्तार।
- पारदर्शिता, जवाबदेही, और निधि उपयोग सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

➢ एन.सी.डी.सी. भारत की सहकारी क्रांति को सशक्त बनाने में अग्रणी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023

संदर्भ

➢ सहकारी आंदोलन ने भारत के ग्रामीण और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आत्मनिर्भरता, सामूहिक कार्रवाई, और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। बहु-राज्य सहकारी समितियों (एम.एस.सी.एस.) में सुधार की आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में शासन, पारदर्शिता, और जवाबदेही में सुधार के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू किया।

पृष्ठभूमि

➢ **सहकारिता मंत्रालय:** 6 जुलाई 2021 को स्थापित, "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नीति, कानूनी, और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है।

➢ **समस्याएं:** एम.एस.सी.एस. में वित्तीय कुप्रबंधन, विलंबित चुनाव, पारदर्शिता की कमी, और कमजोर शिकायत निवारण तंत्र।

➢ **आवश्यकता:** मूल एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002 में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव, जिससे संशोधन अनिवार्य।

एम.एस.सी.एस. (संशोधन) अधिनियम, 2023 की प्रमुख विशेषताएं

➢ सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए):

- धारा 45 के तहत स्थापित, समय पर, नियमित, और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करता है।
- अप्रैल 2025 तक 113 चुनाव आयोजित, 33 प्रगति पर, और चुनाव तैयारियों के लिए सक्रिय समन्वय।

➢ शिकायत निवारण तंत्र:

- धारा 85ए के तहत सहकारी लोकपाल और धारा 106 के तहत सहकारी सूचना अधिकारी (सीआईओ) की व्यवस्था।
- सदस्यों की शिकायतों का समाधान, जवाबदेही, और सूचना पारदर्शिता में सुधार।

➢ वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही:

- धारा 70ए के तहत निर्धारित कारोबार सीमा से ऊपर की समितियों के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा।
- शीर्ष एम.एस.सी.एस. की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत।
- केंद्र सरकार को लेखा-परीक्षा मानकों और साख-जमा समितियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करने का अधिकार।

➢ नैतिक शासन:

- प्रत्येक एम.एस.सी.एस. बोर्ड के लिए अनिवार्य लेखा-परीक्षा और नैतिकता समिति, और यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) समिति।
- निदेशकों के लिए कठोर अयोग्यता मानदंड, निष्कासन अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष (धारा 30)।

- **सामाजिक समावेशन:**
  - अनुच्छेद 243ZJ के अनुरूप, एम.एस.सी.एस. बोर्डों में 1 अनुसूचित जाति/जनजाति और 2 महिला सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी।
  - सामाजिक न्याय, समावेशिता, और लैंगिक समानता को बढ़ावा।
- **डिजिटलीकरण और व्यवसाय सुगमता:**
  - आवेदन, रिटर्न, और शुल्क के लिए डिजिटल फाइलिंग की सुविधा।
  - पंजीकरण समयसीमा 4 महीने से घटाकर 3 महीने, कमियों को सुधारने के लिए 2 महीने का विस्तार।
- **पेशेवर नेतृत्व:**
  - मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड।
- **नियामक निगरानी:**
  - केंद्रीय रजिस्ट्रार को धोखाधड़ी या अवैध गतिविधियों की जांच का अधिकार।
  - औपनिवेशिक युग के निवेश साधनों को हटाकर आधुनिक वित्तीय मानकों को अपनाना।

महत्व

- **लोकतांत्रिक शासन:** सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) के माध्यम से स्वतंत्र, निष्पक्ष, और समय पर चुनाव।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** वास्तविक समय लेखा-परीक्षा, सार्वजनिक प्रकटीकरण, और डिजिटल फाइलिंग।

- **समावेशी विकास:** अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, और ग्रामीण समुदायों को सशक्त करना।
- **व्यवसाय सुगमता:** पंजीकरण समयसीमा में कमी और ऑनलाइन प्रस्तुति।
- **शिकायत निवारण:** मजबूत लोकपाल ढांचा और सहकारी सूचना अधिकारी।
- **नीतिगत संरेखण:** "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण सशक्तीकरण और आर्थिक न्याय।

चुनौतियां

- **क्षमता अंतर:** एम.एस.सी.एस. अधिकारियों, सीआईओ, और निर्वाचित बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की आवश्यकता।
- **डिजिटल विभाजन:** क्षेत्रों में असमान डिजिटल अवसंरचना से पहुंच और दक्षता सीमित।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** विशेष रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सहकारी प्रसार और प्रदर्शन में अंतर।

आगे की राह

- **प्रशिक्षण और जागरूकता:** सीआईओ और सहकारी बोर्डों के लिए लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- **डिजिटल विस्तार:** ग्रामीण और आदिवासी सहकारिताओं के लिए अंतिम मील डिजिटल कनेक्टिविटी।
- **सीएससी मॉडल एकीकरण:** सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाओं के लिए बहु-उद्देश्यीय पीएसीएस को बढ़ावा देना।
- **मजबूत निगरानी:** निधि उपयोग और सेवा वितरण परिणामों के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र।

निष्कर्ष

- बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 भारत के सहकारी परिदृश्य में परिवर्तनकारी कदम है। पारदर्शिता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, वित्तीय विवेक, और सामाजिक समानता को शामिल कर यह सहकारिताओं को ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तीकरण का जीवंत इंजन बनाता है।